tions whether any further merger of banks have been worked out;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the efforts made by Government to implement the recommendations of the Khan working group?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) to (c) Reserve Bank of India (RBI) had, in December, 1997 constituted a Working Group with a view to harmonising the role and operations of Development Finance Institutions (DFIs) and banks. Headed by Shri S.H. Khan, former Chairman and Managing Director of Industrial Development Bank of India (IDBI), the Working Group has, inter-alia, made following recommendations with regard to merger of banks and financial institutions:

(i) The Group has recommended that management and shareholders of banks of DFIs should be permitted to explore and enter into gainful mergers. These mergers should be possible not only between banks but also between banks and DFIs and not only between strong and weak though viable entities but even between two (or more) strong banks and DFIs.

(ii) Such restructuring/consolidation should be brought about in a market-oriented fashion and should be led by viability and profitability considerations alone. This would require the right legal and industrial relations environment to prevail so that optimum advantage can be derived from the proposed restructuring/consolidation through a process of rationalisation.

IDBI has reported that no merger of banks have been/are being worked out on the basis of recommendations of the Working Group.

(d) RBI is examining the recommendations of the Working Group.

एन०डी०पी०एस० अधिनियम में संशोधन

4514. **श्री बालकवि बैरागी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मादक द्रव्यों और साइकोट्रोपिक तत्वों के निषेध और नियंत्रण के लिए बने एन०डी०पी० एस० अधिनियम में कोई संशोधन करने का विचार रखती है;

(ख) इन संशोधनों की रूपरेखा और शब्दावली क्या है;

(ग) ये संशोधन कब तक कर दिए जाएंगे;

(घ) क्या इन संशोधनों के कारण मादक पदार्थों के तस्करों पर की जाने वाली कार्यवाही में कुशलता बढ़ेगी;

(ङ) क्या वर्तमान एन०डी०पी०एस० अधिनियम के कारण कुछ निर्दोष लोगों को अनावश्यक दंड, अपमान एवं प्रताड़ना सहनी पड़ रही है; और

(च) एन०डी०पी०एस० अधिनियम की ऐसी वर्तमान धाराओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार हटाने जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) जी, हां।

(ख) एन०डी०पी०एस० अधिनियम, 1985 में संशोधन करने के लिए स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी द्रव्य पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1998 नामक एक विधेयक को राज्य सभा में मानसून सत्र, 1998 के दौरान पेश किया गया। इसमें एन०डी०पी०एस० अधिनियम की कतिपय खामियों को दूर करने, अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों को नियंत्रित पदार्थों के मामले में प्रवेश करने, तलाशी लेने, जब्ती आदि तथा गैर कानूनी तरीके से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाने, उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने, अभिग्रहण तथा जब्ती करने का अधिकार देने की भी व्यवस्था है। इस विधेयक में, विशेष रूप से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ के अवैध व्यापार के विरूद्ध 1988 में हुए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में हुए निर्णय के फलस्वरूप "नियंत्रित वितरण" की तकनीकी से संबंधित कतिपय दायित्वों, को पूरा करने पर बल दिया गया है। इस सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था। इसमें इस अधिनियम के अधीन

निर्धारित दंड के स्वरूप को युक्तिसंगत बनाया गया है, तथा गंभीर अपराधों आदि में संक्षिप्त अपराधियों को जमानत देने संबंधी उपबंधों को कठोर बनाया गया है।

(ग) राज्य सभा ने दिनांक 22.7.98 की अपनी बैठक के दौरान विस्तृत जांच हेतु इसे स्थायी समिति को भेजने के सुझाव के साथ संशोधन विधेयक को अध्यक्ष, राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) इस विधेयक में एन०डी०पी०एस० की किसी भी धारा को हटाने का प्रस्ताव नहीं है।

Income Tax offenders related to securities scam

4515. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1446 given in the Rajya Sabha on 9th June, 1998 and state:

(a) whether it is a fact that some of the 13 Income Tex assessees mentioned are related to the Securities scam;

(b) If so, who are they; and

(c) what action has been taken to attach their properties to recover the outstanding dues from these 13 persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) Yes, Sir.

(b) The Income Tax assessees related to securities scam are as follows:—

(i) Harshad S. Mehta
(ii) Hiten P. Dalal
(iii) B. C. Dalal
(iv) Ashwin S. Mehta
(v) S. Ramaswamy
(vi) Jyoti H. Mehta
(vii) A. D. Narottam
(viii) Harshad S. Mehta (W.T.)
(ix) Bimal S. Gandhi

(c) All properties, movable or immovable, stand attached by the Custodian appointed by the Special Court under the Special Court (TORTS) Act, 1992. The disbursement from the attached assets is made under the provisions of the Special Court (TORTS) Act, 1992 by the Special Court.

कुरेभार में राष्ट्रीयकृत बैंक की नई शाखा

4516. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सुलतानपुर जिले के कुरेभार नगर में वहां वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक में उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए राष्ट्रीकृत बैंक की एक नई शाखा को खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और सरकार कुरेभार में खाताधारकों को सुविधाएं किस तरीके से उपलब्ध करायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) से (ग) मौजूदा शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत बैंक तभी नई शाखा खोलने का निर्णय लेते हैं जब उनके विचार से जहां पर्याप्त व्यवसाय मौजूदा हो और शाखा अर्थक्षम हो या फिर ग्रामीण ऋण के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की योजना का बेहतर प्रबन्धन करने के लिए वहां ऐसी शाखा खोलना आवश्यक हो। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही अपनी शाखाएं खोलते हैं। आर बी आई ने सूचित किया है कि जिला सुलतानपुर उत्तर प्रदेश में कुरेभार केन्द्र में इस समय भारतीय स्टेट बैंक की और सुलातानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक-एक शाखा कार्यरत है। सुलतानपुर जिला सहकारी बैंक की एक शाखा भी इस केन्द्र में कार्य कर रही है। आर०बी०आई० को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की ओर से कुरेभार में अतिरिक्त शाखा खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण

4517. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की फाउन्टेन और चांदनी चौक शाखाओं का अभी तक कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया है तथा वहां पर गणक मशीनें भी नहीं लगाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का इन शाखाओं का कब तक कम्प्यूटरीकरण करने और इनमें गणक मशीनें लगाने का विचार है ताकि दुकानदार